HRA AT USIUM The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (if) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1047] No.1047] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2010/ज्येष्ठ 10, 1932

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2010/JYAISTHA 10, 1932

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2010

का.आ. 1258(अ),—कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 4 की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मासिक मजदूरी की निम्नलिखित राशि विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

"आठ हजार रुपये"

[फा. सं. एस-37012/1/2008-एस.एस.-] (खण्ड. II)] एस. के. देव वर्मन, संयक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2010

S.O. 1258(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (IB) of Section 4 of the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), the Central Government hereby specifies, for the purposes of sub-section (1) of the said section, the following amount as monthly wages, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

"Eight thousand rupees"

[F. No. S-37012/1/2008-S.S.-I (Vol. II)] S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.